महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – अठासीवां संस्करण (माह जुलाई, 2023)

➔ "पहल" के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. सतत विकास के लक्ष्य 13 – जलवायु परिवर्तन की ओर उन्मुख पंचायतें
3. समेकित बाल संरक्षण योजना
4. मुख्यमंत्री "लाड़ली बहना योजना" मध्यप्रदेश में बहनों के जीवन का एतिहासिक पल
5. ग्राम सभा गठन एवं बैठक प्रकिया
6. आजीविका मिशन से आय में वृद्धि
7. उद्यमिता से आजीविका में वृद्धि
8. म्यूजिक रिकार्डिंग स्टूडियो से आजीविका में वृद्धि
9. मोटे अनाज (मिलेट्स) और सतत विकास लक्ष्य

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं मार्गदर्शक
श्री मलय श्रीवास्तव (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
श्री संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–mgsirdpahal@gmail.com
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870
Designed & Developed By : Mr. Jay Kumar Shrivastava, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का अठासीवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2023 का सातवां मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 10 जून 2023 को शाम 5:45 को राज्य स्तरीय कार्यक्रम मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले के गैरीसन ग्राउण्ड से लाड़ली बहना योजना पूरी गरिमा के साथ इस दिन बहनों के खातों में सिंगल क्लिक से एक हजार रूपये की राशि जमा की गई तथा हर महीने की 10 तारीख को बहनों के खातों में राशि रू. 1000 की राशि जमा की जायेगी। इसका शुभारंभ मध्यप्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर से हुआ है। जिसे **''मुख्यमंत्री ''लाड़ली बहना योजना''** समाचार आलेख के रूप में शामिल किया गया है।

संस्करण में **''सतत विकास के लक्ष्य 13 – जलवायु परिवर्तन की ओर उन्मुख पंचायतें''**, **''समेकित बाल संरक्षण योजना''**, **मध्यप्रदेश में बहनों के जीवन का एतिहासिक पल''**, **''ग्राम सभा गठन एवं बैठक प्रकिया''**, **''आजीविका मिशन से आय में वृद्धि''**, **''उद्यमिता से आजीविका में वृद्धि''**, **''म्यूजिक रिकार्ड़िग स्टूडिया से आजीविका में वृद्धि''** एवं **''मोटे अनाज (मिलेट्स) और सतत विकास लक्ष्य''** आदि आलेखों को शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'पहल' का यह संस्करण आपको अत्यंत रूचिकर, नवीन उपयोगी एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला रहेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

सतत विकास के लक्ष्य 13 – जलवायु परिवर्तन की ओर उन्मुख पंचायतें

हम सभी ने पृथ्वी पर जन्म लिया है अतः पृथ्वी हमारी जन्मभूमि है यदि पृथ्वी पर कुछ भी विपरित परिस्थितयॉ निर्मित होती है तो फिर हमे भी उसका प्रभाव झेलने के लिए तैयार रहना होगा । जो प्राणी पृथ्वी के निवासी है वे जाने अन्जाने हमारे पृथ्वी पर कुछ ऐसे कार्य करते है जिससे हमारे पृथ्वी पर संतुलन बिगड जाता है । जिसका संकेत हमे पृथ्वी समय समय पहचान कर सभल जाते है या कि नही यदि समय रहते हम अपने आप को सभाल पाए तो हम आने वाले खतरे को टाल सकते है परंतु यदि हमने अपने आप को नही सभाला तो फिर परेशानियॉ विकराल रूप लेकर हमारे सामने उपस्थित होगी । इसका रौद्र रूप हमने केदारनाथ मे आए भयंकर त्रासदी के रूप मे देखा था । जिसे हम चाह के भी अपनी स्मृतिपटल से मिटा नही सकते । इसी प्रकार से जब विश्व कोविड के आपदा से परेशान था तब भी हमने देखा कि हम सब पृथ्वी निवासी अपने अपने घरो मे कैद हो कर रह गए थे । पृकृति ने हमे दिखा ही दिया कि उसकी ताकत क्या है । उस वक्त सारा विश्व लाकडाउन की चपेट मे था तभी वातावरण कितना साफ सुथरा हो चला था । नदियो से बहने वाला जल कितना शुद्व हो गया था हवा की शुद्वता का पता हमे चला था । किंतु कोविड खत्म होने के बाद सब जीवन फिर से इसी प्रकार प्रकार से चलने लगा है हमारी जीवन शैली प्रकृति के अनुकुल ना हो के उसके विपरित है । आज के समय हमने जो भी संसाधन अपने जीवनशैली को सरल बनाने के लिए बनाए है वे सभी हमारे खिलाफ काम कर रहे है जिसका परिणाम हमे जलवायु परिवर्तन के रूप मे देखने को मिलता है। जिन वाहनो का हम अपने जीवन मे यहॉ से वहॉ जाने के लिए प्रयोग करते है क्या वह प्रदूषण के कारक नही है उनमे से निकलने वाला जहरीला धुऑ हमारे फेफडो को प्रभावित नही करता ?क्या हमारे फैक्टी से निकलने वाला धुऑ , नदियो को गंदा एवं प्रदूषित करने वाले नाले हर ओर हमारे जलवायु परिवर्तन के कारक नही है । यह सभी कारण हमारे पृथ्वी का औसत तापमान मे वृद्वि होने का कारक है । मौसम चक्र मे परिवर्तन होने के कारक है जलवायु परिवर्तन से क्या आशय है केवल यही है की जो मौसम पहले हुआ करता था वह अब नही है इसके क्या मायने है । इससे यह आशय है कि हमारे मौसम पहले तय समय पर निश्चित थे लेकिन आजकल ऐसा नही है आज तो गर्मीयो के मौसम मे भी बारिश देखने को मिलती है । ठंड के मौसम मे भी गर्मी का एहसास होता है ।

जलवायु एक ऐसी घटना है जो निरंतर बदल रही है जलवायु के मुख्य कारक निम्न है

- बारिश
- नमी
- हवा
- तापमान
- सूर्य का प्रकाश

स्थानीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है ।

- जमीन का झुकाव
- मिटटी की गहराई
- मिटटी का प्रकार
- फसल स्वरूप
- दलदली जमीन
- पानी के स्त्रोत
- जंगल पेड आदि

बारिश हवा सूरज की रोशनी आदि के कुछ निश्चित स्वरूप है और मानव समाज इसी बदलाव से अपनी कृषि क्रियाओ से मिलान करके विकसित हुआ है ।लेकिन स्चरूप मे परिवर्तन हो सकते है और मात्रा व समय मे बडे स्तर के बदलाव हो सकते हे । कुछ बदलाव इतने छोटे हो सकते है कि हो सकता है कि लोगो का ध्यान उस ओर न जाए परंतु कुछ बदलाव बडे भी हो सकते है बारिश के संबंध मे जब भी ऐसा बदलाव होता है ज्यादा या बहुत ही कम बारिश होने पर हवा इत्यादि तब कृषि और पीने के पानी की उपलब्धता पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पडता है ।

जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारक निम्न है

जंगलो दलदली जमीन और नदियो का विनाश

- पेडो का कटना
- जैविक ईधनो का उपयोग
- किसी भी प्रकार की उर्जा का अत्यधिक प्रयोग
- प्लास्टिक आदि का प्रयोग

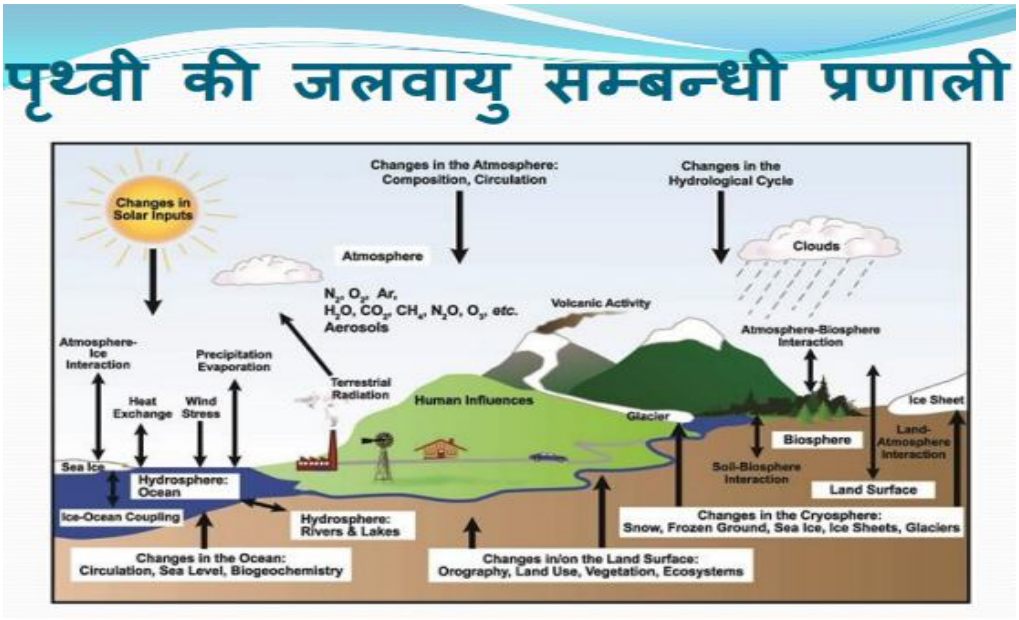

जलवायु परिवर्तन के क्या कारण है यह जानने के लिए हमे ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझना होगा आखिर क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट ? पृथ्वी के चारो ओर का वातावरण जिस तरह से सूर्य की उर्जा को ग्रहण करता है उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते है । यह हमारे फायदे के लिए पृथ्वी की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमे जिससे पृथ्वी की ओर आने वाली सूर्य की किरणो को अवशोषित करके हमारे पृथ्वी के तापमान को गर्म बनाए रखा जा सके अन्यथा हमारे पृथ्वी ठंडी हो जाएगी जिससे हमारा जीवन अनुकूल परिस्थितयॉ नही होगी क्योकि पृथ्वी पर बर्फ की परत होगी यानि यह परत न हो तो पृथ्वी ठंडी हो सकती है परंतु हमारे फेक्टीयो ,वाहनो एसी से निकलने वाले गैसो से पृथ्वी का तापमान मे निरंतर वृद्वि हो रही तब जीवन असंभव होगा । हमारे जीवन शैली के कारण , जंगल की कटाई ,कोयले को जलाने से ,आग ,जीवाश्म ईधन के जलाने से , प्रदूषण के कारण ,वाहनो फैक्टी के धुए से निकलने वाली विभिन्न प्रकार की गैसे जैसे कार्बन डायऑक्साईड मीथेन , नाईटस ऑक्साईड गैसे निकलती है। जो हमारे पृथ्वी को और ज्यादा गर्म कर रही है जिससे हमारी पृथ्वी पर जो ठंडे प्रदेशो मे ग्लेशियर है वे पिघल रहे है नतीजतन हमारे समुद्र के जल स्तर मे निरंतर वृद्वि हो रही है । जो हमारे तटो पर बसे हुए शहर है उनमे डूबने का खतरा बढ रहा है।

ग्रीन हाउस प्रकिया

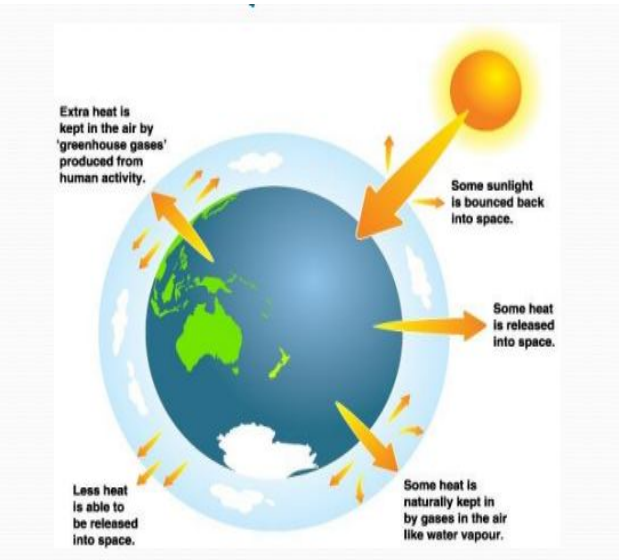

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दर्शाने वाली खबरें

पंचायते इसके लिए यह कर सकती है

पंचायते आईईसी गतिविधियो के माध्यम से लोगो को जागरूक कर सकती है

जैसे

- पंचायतें लोगो को जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी गतिविधियो और उन्हे कम करने के लिए जागरूक बना सकती है ।
- जलवायु परिवर्तन के अनूकूल विधियॉ अपनाना
- स्थानीय लोगो तक मौसम की जानकारियो को उपलब्ध करवाना
- बदलो का फटना बाढ सूखा भूस्खलन और बहुत अधिक ठंड के बारे मे लोगो को जागरूक करना
- सामान्य लोगो तक पिछले और वर्तमान सत्र की जलवायु शैली के बारे मे जानकारी पहुॅचाना और उस के बारे मे लोगो को शिक्षित करना
- जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए वैकल्पिक कृषि योजना तैयार करना और लागू करना
- दलदली जमीन जंगल ढलान तटीय क्षेत्र बाढ वाले मैदानो नदियो के किनारो और धाराओ की संरक्षित करने की योजनाए विकसित करना
- जल संरक्षण के उचित उपायो की योजनाए विकसित करना
- जलवायु से जुडे संकटो के दौरान असुरक्षित जनसंख्या के लिए उचित बचाव योजनाए
- स्थानीय जलवायु निगरानी प्रणाली विकसित करना
- बुरी से बुरी परिस्थिति से निपटने के लिए कार्यबल/ तंत्र विकसित करना

ग्रीन हाउस मे गैसो का प्रभाव

वायुमंडल मे निकलने वाली गैसे जिनका प्रभाव जनवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है इनमे से कोयले से निकलने वाली कार्बन डायआक्साईड गैस सर्वाधिक खतरनाक है । फिर क्रमशः कार्बन डायआक्साईड (जंगल की कटाई से जीवाश्म ईधन से) ,मीथेन , नाईट्रस आक्साईड ,क्लोरो फ्लोरो कार्बन तापमान मे वृद्वि के कारक है। इस प्रकार के परिवर्तन से मौसम मे भारी बदलाव हो रहा है । जैसे असमान्य वर्षा का होना , गर्मी के मौसम मे अत्यधिक गर्मी का एहसास ,बर्फ ग्लेश्यिर का पिधलना , मौसम के इस परिवर्तन से फसलो को भी नुकसान होता है जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है इस प्रकार से अर्थव्यवस्था का प्रभाव हमारे जीवनशैली पर पडता है । क्योकि असमय मौसम परिवर्तन से वर्षाजल हमारे खेती को प्रभावित करेगी जब फसले खराब होगी तो कीमते आसमान छूने को होगी महंगाई बढेगी । महॅगाई के बढने से आमजनजीवन प्रभावित होगा । सरकारे जलवायु परिवर्तन को राकने के लिए लिए नित नए प्रयोग करती है जैसे पुराने वाहनो को बाहर करना और नए बी एस 6 मानक के वाहनो को बढावा देना जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके । इलेक्टिक वाहनो को बढावा देना तथा पेटोल या डीजल वाहनो के ईधन को महंगा रखना डीजल के पुराने वाहनो का पुनः रजिस्टेशन या फिटनेस प्रदान न करना डीजल वाहनो की बिक्री को बंद करना आदि । इस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हमारे देश मे विभिन्न परेशानियो का सामना हमारे लोग कर रहे है जिसके लिए हम हमारे देश के लोग विभिन्न प्रकार के उपाय कर रहे है और जिससे भविष्य मे आनेवाली परेशनियो से निपट सके ।

अभिषेक नागवंशी
संकाय सदस्य

समेकित बाल संरक्षण योजना सभी बच्चों विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के समग्र कल्याण एंव पुर्नवास हेतु बाल संरक्षण की अन्य योजनाओं को केन्द्रीय रूप में सम्मिलित कर प्रारम्भ की गई है। यह योजना बच्चों के बाल अधिकार, संरक्षण और सर्वोत्तम बाल हित के दिषा निर्देशक सिद्धान्तो पर आधारित है।

इस योजना के तहत् किशोर न्याय बालको की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 का क्रियान्वयन मुख्य घटक है। इस अधिनियम के तहत् 18 वर्ष से कम आयु के विधि विरोधी कार्यों में संलिप्त बालकों तथा देखरेख और संरक्षण के लिये जरूरतमंद बालकों को संरक्षण एवं भरण पोषण षिक्षण प्रषिक्षण तथा व्यवसायिक एंव पारिवारिक पुर्नवास मुख्य उद्देष्य है।

इन बच्चों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्यों के तहत् शासकीय संस्थायें , सम्प्रेक्षण गृह,, विषेषगृह, बालगृह , शिशुगृह तथा अशासकीय संस्थायें ,शिशु गृह, बाल गृह, आश्रय गृह एवं खुले आश्रय संचालित किये जा रहे है।

ऊपर दोनों श्रेणियों के बालकों के प्रकरणों के निराकरण हेतु किशोर न्याय बोर्ड एंव बाल कल्याण समितियाँ स्थापित है। समेकित बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण समितियों का गठन किया गया है। जिलों में संचालित उक्त समितियाँ कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के समग्र कल्याण व पुर्नवास तथा किषोर न्याय ;बालको की देखरेख और संरक्षणद्ध अधिनियम 2015 के प्रभावी

क्रियान्वयन हेतु मानीटरिंग करने हेतु सक्षम एंव उत्तरदायी है। जिला स्तरीय समितियों की निगरानी एवं मूल्यांकन का कार्य राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय समितियों यथा राज्य बाल संरक्षण समिति एवं राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा किया जाता है।

योजना के उद्देश्य –

समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत 18 वर्ष तक के कठिन परिस्थतियों में रहने वाले देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा विधि विवादित बच्चों को संरक्षण सहायता एवं पुनर्वास प्रदान किया जाता है। योजना के तहत प्रदेश में विभिन्न प्रकार के 142 गृह संचालित है। इन गृहों में बच्चों के लिए पोषण शिक्षण प्रशिक्षण स्वास्थ्य एवं पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है।

योजना के लक्ष्य –

बाल संरक्षण सेवाओं तक बेहतर पहुँच और उनकी बेहतर गुणवत्ता। बाल अधिकारियों की वास्तविकताए भारत में उनकी स्थिति और सुरक्षा के बारे में सार्वजानिक जागरूकता। बाल संरक्षण के स्पष्ट दायित्व और जबावदेही की बाध्यता। कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को वैधानिक और सहायक सेवाओं की आपूर्ति के लिए सभी सरकारी स्तरों पर संस्थापित कार्यशैली की संरचना। साक्ष्य आधारित निगरानी और मूल्यांकन।

लक्षित लाभार्थी –

विधि विवादित निराश्रित बेसहारा गुमशुदा भीख मांगने वाले सड़क पर निवास करने वाले सड़क पर कचरा बीनने वाले तथा देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालक ।

डॉ. वंदना तिवारी
व्याख्याता

मुख्यमंत्री ''लाड़ली बहना योजना'' मध्यप्रदेश में बहनों के जीवन का एतिहासिक पल

मान्नीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 10 जून 2023 को शाम 5:45 को राज्य स्तरीय कार्यक्रम मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले के गैरीसन ग्राउण्ड से लाड़ली बहना योजना पूरी गरिमा के साथ इस

दिन बहनों के खातों में सिंगल क्लिक से एक हजार रूपये की राशि जमा की गई तथा हर महीने की 10 तारीख को बहनों के खातों में राशि रू. 1000 की राशि जमा की जायेगी। इसका शुभारंभ मध्यप्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर से हुआ है। मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान का मध्यप्रदेश की बहनों ने हृदय से बहुत–बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत किया है।

स्वीकृति पत्र भी बड़ी बहन, मझली बहन एवं छोटी बहन को भी मिलेगा। इतना पैसा घर में आयेगा तो घर की दशा सुधरेगी। सभी माताओं एवं बहनों मैं आपसे दिल की बात करने आया हूँ और सबसे पहले मॉ का नाम लेना, मातायें, बहनों एवं नारियों का सम्मान करना चाहिये। मेरी गरीब एवं निम्न वर्ग की बहनों के लिए मायके जाना, पिताजी के घर जाना, बुआ क्या लेके आई एव छोटी–छोटी आवश्यकताओं के लिए तथा परिवार की खुषियां बनी रहे।

मध्यप्रदेश की सभी पात्र बहनें लाभान्वित होगी, भाई बहन का स्नेह, आत्मा और प्रेम का संबंध है। बहन, बेटियों का सम्मान और उनका कल्याण मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। बहनों की खुशी में ही मेरी खुषी है। बहनों की जिन्दगी खुशहाल हो यही मेरे मुख्यमंत्री बनने की सार्थकता हैं। भाई–बहन का अटूट बंधन विकास भी करेगा और जनता का भविष्य भी तय करेगा।

सज्जन सिंह चौहान,
संकाय सदस्य

ग्राम सभा गठन एवं बैठक प्रक्रिया

ग्राम सभा के गठन एवं बैठकों से संबंधित प्रावधान एवं नियम कौन से हैं ?

- मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 3 से 7
- मध्यप्रदेश ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम, 2001
- मध्यप्रदेश ग्राम सभा (अपील) नियम, 2001

ग्राम सभा का गठन कैसे होता है ?

- ग्राम सभा से मतलब, ग्राम पंचायत क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम या वन ग्राम से संबंधित मतदाताओं से मिल कर बनने वाला निकाय है।
- मध्यप्रदेश में 313 जनपद पंचायतें हैं। जिनमें से 89 जनपद पंचायतें अनुसूचित क्षेत्र की हैं वहां पर अनुसूचित जनजातियों के लोग अधिक संख्या में रहते हैं।
- इनको छोड़कर शेष 224 जनपद पंचायतों का क्षेत्र सामान्य क्षेत्र में आती हैं।
- ये ही सामान्य क्षेत्र कहलाता है।
- इन जनपद पंचायतों के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले अधिसूचित प्रत्येक राजस्व व वन ग्राम के लिये ग्राम सभा का गठन किया जाता है।
- इस लेख में हम सामान्य क्षेत्र की ग्रामसभाओं की बात कर रहे हैं।

ग्राम सभा बैठक का आयोजन कब–कब किया जा सकता है ?

- ग्राम सभा की बैठक कम से कम जनवरी, अप्रैल, जुलाई एवं अक्टूबर के माह में बुलाना जरूरी है।
- इसके अतिरिक्त ग्राम सभा जब भी जरूरी हो तब बुलाई जा सकती है।

ग्राम सभा की विशेष बैठक किस प्रकार आयोजित की जाती है ?

- यदि सरपंच या ग्राम सभा के 10 प्रतिशत से अधिक या 50 इनमें से जो भी कम हो, इनके द्वारा ग्राम सभा बैठक की मांग करने पर विशेष ग्राम सभा बुलाई जा सकती है।
- ग्राम पंचायत के सचिव के द्वारा ऐसी मांग प्राप्ति होने के 7 दिन के भीतर बैठक बुलाई जावेगी ।

ग्राम सभा की बैठक कहां आयोजित की जावेगी ?

- ग्राम सभा का एक मुख्यालय होगा, उसी में बैठकों का आयोजन होगा ।

ग्राम सभा बैठक की सूचना किस प्रकार से दी जाती है ?

- ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की सूचना, तारीख, समय, स्थान और कार्य सूची की सूचना, बैठक की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले दी जावेगी।

- किसी विशेष परिस्थिती में बुलाई गई बैठक के लिए सूचना बैठक से तीन दिनों पूर्व दी जावेगी।
- बैठक की सूचना गांव में ऐसी जगह चिपकाई जावेगी जहां पर गांव के देख सकें। डोंडी पिटवा कर भी ग्राम सभा की सूचना दी जावेगी।

ग्राम सभा में नोडल अधिकारी को कौन नामांकित करते हैं ?

- इसके समुचित इंतजाम के लिए जिला कलेक्टर द्वारा एक शासकीय अधिकारी या कर्मचारी को नामांकित किया जावेगा ।

ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है

- ग्राम सभा की बैठक में अध्यक्षता सरपंच करेगें।
- अगर सरपंच नहीं आ पाते है तो उप सरपंच अध्यक्षता करेंगे।
- यदि सरपंच/उपसरपंच दोनों ही नहीं आ पाते है तो बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा किसी पंच का चुनाव अध्यक्ष के रूप में कर लिया जावेगा और वही ग्राम सभा की अध्यक्षता करेगा ।

ग्राम सभा का सचिव कौन होता है ?

- ग्राम पंचायत का सचिव ही उनके ग्राम पंचायत में गठित प्रत्येक ग्राम सभा का सचिव होगा और ग्राम सभा के द्वारा सौपे गये सभी दायित्वों को पूरा करेगा ।

सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति (कोरम) कितने सदस्यों से पूरा होगा ?

- ग्राम सभा का कोरम 1/10 सदस्य या 500 इसमे से जो भी कम हो से पूरा होगा
- यदि किसी कारण वश गणपूर्ति नहीं हो पाती है तो बैठक नहीं होगी और इस प्रकार से स्थगित की गई बैठक के आयोजन के लिए आगे भी गणपूर्ति आवश्यक होगी। अर्थात् बिना गणपूर्ति के किसी बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकेगा।

ग्राम सभा की बैठक से संबंधित कौन–कौन से रजिस्टर बनाये जाते हैं ?

- उपस्थिति रजिस्टर – इसमें ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों के नाम लिखे जायेंगे।
- कार्यवृत्त पुस्तक – बैठक का कार्यवृत्त माने कार्यवाही विवरण, निर्णय, उपस्थित सदस्यों की संख्या का विवरण लिखा जायेगा। जिसकी पुष्टि अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा की जावेगी।

ग्राम सभा की बैठक में निर्णय किस प्रकार से लिये जाते हैं ?

- ग्राम सभा की बैठक में सभी विषयों पर यथासंभव एक मत से निर्णय लिये जायेंगे। इसमें असफल रहने पर उपस्थित सदस्यों की सामान्य सहमति (जनरल कॉन्सेन्सश) से निर्णय लिया जायेगा।
- ऐसे मामले जिनमें मत विभिन्नता हैं वहां पर ऐसा मामला आगामी बैठक में लाया जायेगा।
- यदि लगातार दो स्थगित बैठकों में एकमत या सामान्य सहमति (जनरल कॉन्सेन्सश) से निर्णय नहीं लिया जाता है तो ऐसे मामलों पर उपस्थित मतदाताओं द्वारा, गुप्त मतदान से निर्णय लिया जायेगा। मत बराबर होने पर बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का मत निर्णायक होगा।

ग्राम सभा बैठक के दौरान ग्राम सभा सदस्य क्या अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हैं ?

- हॉ, ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य को, ग्राम सभा के समक्ष रखे जाने वाले अभिलेखों का, ग्राम सभा के दौरान निरीक्षण करने का अधिकार है।

कोई असंतुष्ट सदस्य ग्राम सभा के निर्णय के विरूद्ध अपील कहां कर सकता है ?

- ग्राम सभा की बैठक में लिये गये फैसल से असंतुष्ट व्यक्ति ''अपील समिति'' को कर सकता है।
- अपील समिति में तीन सदस्य होते हैं। संबंधित जनपद पंचायत के अध्यक्ष, ग्रामसभा क्षेत्र के जनपद पंचायत सदस्य एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) होते हैं। इस समिति के अध्यक्ष जनपद पंचायत के अध्यक्ष होते हैं।

अपील फैसले के कितने दिन बाद तक की जा सकती है ?

- ग्राम की बैठक में लिये गये फैसले पर अगर किसी ग्राम सभा के सदस्य को आपत्ति हो तो वह जिस तारीख को बैठक हुई हो, उसके 30 दिनों के भीतर अपील समिति को लिखित में अपनी आपत्ति दे सकते हैं।
- किसी कारण से आपत्ति की अपील देने में सदस्य द्वारा 30 दिनों से अधिक समय लगा हो तब भी वह अपनी अपील दे सकता है परन्तु अपील देने में देरी होने का उसके पास उपयुक्त कारण होना चाहिए। इस प्रकार की देरी से आने वाली अपील को स्वीकार करने या न करने का अधिकार अपील समिति को होता है।

अपील में किन बातों को लिखना जरूरी होता है ?

- ग्राम सभा सदस्य द्वारा अपील में ग्राम के फैसले के संबंध में उठाई गई आपत्तियों का कारण और आधार स्पष्ट रूप से लिखा जाना जरूरी है।
- अपील के साथ में ग्राम सभा फेसले की फोटोकापी लगाई जावेगी।

अपील मिलने के बाद अपील समिति किस प्रकार की कार्यवाही करती है ?

- अपील मिलने के बाद अपील समिति द्वारा तथ्यों की जॉच की जावेगी।
- इसके लिए अपील समिति संबंधित ग्राम सभा से आवश्यक रिकार्ड बुलाएगी।
- सभी पक्षकारों की सुनवाई करने के बाद अपील समिति के द्वारा जल्द से जल्द अपील का निपटारा किया जावेगा।
- अपील समिति के द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और सभी संबंधित पक्षकारों को मानना जरूरी होगा।

जब तक अपील का निपटारा नहीं होता तब ग्राम सभा के निर्णय का कियान्वयन होगा या नहीं ?

- नहीं, जब तक अपील समिति द्वारा अपील का निपटारा नहीं कर दिया जाता तब तक ग्राम सभा के उस फैसले जिसके विरूद्ध अपील की गई है, उस फैसले पर की जाने वाली कार्यवाही पर रोक लगाई जा सकती है।

अपील के दौरान पक्षकारों को सुनवाई का अवसर किस प्रकार मिलता है ?

- अपील समिति द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जावेगा।
- अपील के संबंध में अगर कोई जॉच करवाने की आवश्यकता हो जो अपील समिति जॉच भी करवा सकती है।
- इससे अपील समिति द्वारा अपील में उल्लेखित अपात्ति की पुष्टि कर सकती है।
- अपील में उल्लेखित आपत्ति में फेरफार या नामंजूर किया जा सकता है।
- अपील समिति अगर उपयुक्त समझे तो वह पक्षकारों को ऐसे खर्चे दिला सकती है।

डॉ. संजय कुमार राजपूत,
संकाय सदस्य

आजीविका मिशन से आय में वृद्धि

सफलता की यह कहानी एक गरीब महिला के परिवार की है जो जनपद पंचायत इन्दौर ग्राम पंचायत जामनिया खुर्द में अपने परिवार के साथ निवास करती है जिसका नाम ज्योति सैनी पति का नाम राकेष सैनी है। ग्राम पंचायत जामनिया खुर्द में राधिका आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह से वर्ष 2019 में जुड़ी थी ।

समूह से जुड़ने के पूर्व ज्योति के परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यधिक कमजोर थी और का लालन पालन मुश्किल से होता था परिवार के सदस्य खेत मे मजदूरी करते थे । ज्योति ने राधिका आजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद 25 रूपये हफ्ते की बचत करके छोटे–छोटे लोन लेकर घरेलू कार्यो की पूर्ति करती थी इसके बाद ज्योति ने समूह से स्वयं की बचत से चूड़ियाँ बनाने का कार्य प्रारम्भ किया।

वर्तमान में ज्योति की मासिक आय 19000/– रूपया है। चूड़ियों का विक्रय इन्दौर के बाजार में राजवाडा और उसके आस–पास की दुकानों पर विक्रय करती है। समूह से जुडने के बाद ज्योति का जीवन परिवर्तित हो गया वह पहले मजदूरी करती थी अब उसने मजदूरी छोड़ दी और स्वयं चूड़ी बनाने का कार्य करने लगी इस गतिविधि से उसके परिवार की स्थिति पहले से अच्छी हो गई बच्चों की पढाई तथा परिवार के रहन सहन में अन्तर आ गया और परिवार सम्पन्नता की ओर अग्रसर हो गया है ।

सुधा जैन
संकाय सदस्य

उद्यमिता से आजीविका में वृद्धि

सफलता की कहानी एक गरीब महिला के परिवार की है जिसमें श्रीमती अजुंला जी अनके पति श्री सरदार सहिते व एक पुत्री प्रियंका व एक पुत्र अविनाश कुल 4 सदस्य का परिवार है इनके पास आजीविका का साधन माज एक एकड़ खेती थी जिससे दिन भर की मेहनत के बाद बहुत मुश्किल से गुजारा होता था ।

आमदनी बढ़ाने के लिये पति पत्नि दोनो ने विचार किया कि उद्योग लगाया जावे और फिर यह बात अजुंला ने एसएचजी में रखी तो समूह के सदस्यों ने कहा कि 30 हजार तक ही लोन मिल सकता है फिर ट्रांसफार्म रूरल इण्डिया फाउण्डेशन से सम्पर्क स्थापित कर अजुंला जी ने ईएमटी प्रशिक्षण प्राप्त किया फिर ट्रांसफार्म रूरल इण्डिया फाउण्डेशन के साथ बैठक कर लोन हेतु लगने वाले समस्त दस्तावेज तैयार कर लोन की प्रक्रिया शुरू की गई ।

अजुंला जी को सिलाई और साड़ी की दुकान हेतु 50 हजार का लोन मिल गया । जिससे सिलाई में बढ़ाने के लिये इलेक्ट्रानिक मोटर सिलाई मशीन चलने हेतु व ब्लाउज के कपड़े, फाल, धागे अन्य सिलाई में लगने वाली सामग्री खरीदी गई एवं साड़ियां आदि सामग्री खरीदी गई।

इस प्रकार अजुंला जी के परिवार ने उद्यमिता से अपनी आय में वृद्धि करके अपना जीवन खुशहाल बनाया ।

चंद्रेश कुमार लाड़
संकाय सदस्य

म्यूजिक रिकार्ड़िग स्टूडिया से आजीविका में वृद्धि

म्यूजिक रिकार्ड़िग स्टूडियों से आजीविका में वृद्धि की सफलता की यह कहानी बडवानी जिले के राजपुर विकास खण्ड के मयूर सुरानिया की है।

जाग्रती संकल संघ युवा कंपास टीम द्वारा उद्यमिता के लिये बाजार की स्थिति जानकर यह देखा गया कि राजपुर और उसके आस पास कोई म्यूजिक स्टूडियों नहीं था उस समय मयूर सुरानिया नाम के युवक से मुलाकात करने पर ज्ञात हुआ कि मयूर अपने काम को लेकर काफी समर्पित थे और हुनर के साथ उनकी रूचि म्यूजिक में भी थी ।

मयूर म्यूजिक यंत्र भी बजाना जानते थे और कुछ म्यूजिक यंत्र भी खरीदना चाहते थे परन्तु वह आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे तब युवा कम्पास द्वारा उन्हें हब आफिस बुलाया गया और म्यूजिक रिकार्डिग स्टूडियों डालने का सुझाव दिया गया उनको बताया कि बैंक से ऋण लेकर अपना खुद का स्वरोजगार शुरू किया जा सकता है।

हब टीम द्वारा 36000/– का लोन पास करवाया गया तथा मयूर ने कुछ राशि अपने पास से लगाकर उपकरण खरीदे और महाकाल म्यूजिक रिकार्ड़िग स्टूडियों का शुभारम्भ किया गया। दानोद ग्राम के एक युवक जो केसियों व प्यानों बजाना जानते थे उनको भी जॉब दिलवाकर रोजगार दिलवाया गया इस प्रकार संगीत के द्वारा म्यूजिक रिकार्ड़िग स्टूडियों से आजीविका में वृद्धि का यह अनुपम उदाहरण है।

युवकों में स्किल होने के बाद भी मार्गदर्शन की कमी होने के कारण वह पीछे रह जाते है। युवा कपांस की इस पहल से राजपुर में यह पहला आडियों रिकार्ड़िग स्टूडियों है।

तल्लीन बड़जात्या,
संकाय सदस्य

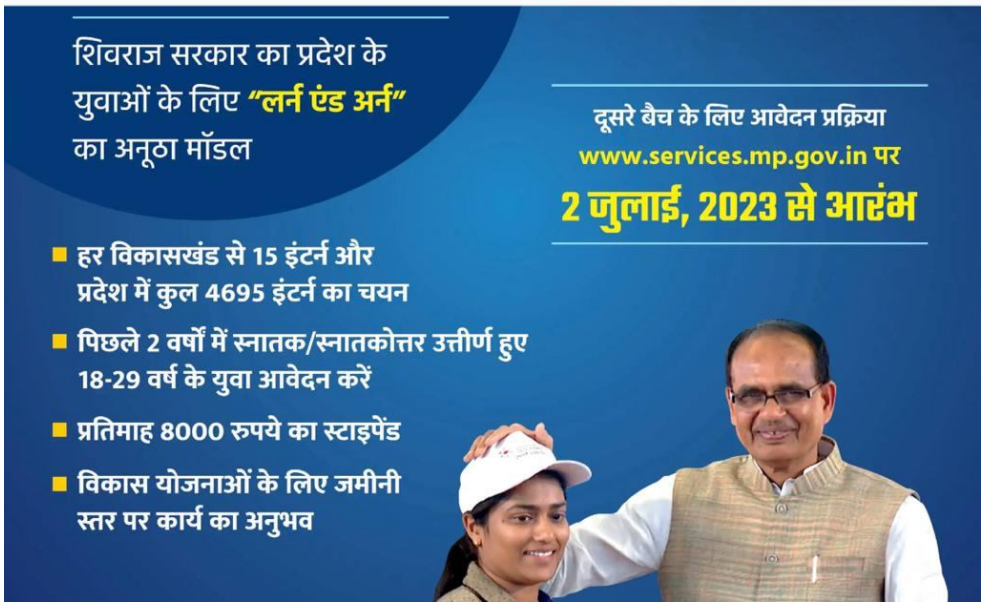

मोटे अनाज (मिलेट्स) और सतत विकास लक्ष्य

हमारे देश की खाद्य प्रणालियों में मोटे अनाज या पोषक अनाज के सेवन की प्राचीन परम्परा रही है। ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, सांबा आदि मोटे अनाज परंपरागत रूप से भारतीय रसोई का हिस्सा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रुप में मनाए जाने से वैश्विक स्तर पर मोटे अनाजों के प्रति पुनः जागरूकता उत्पन्न हुई है। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष को जन – आंदोलन की तरह आयोजित किया जा रहा है। हमारे देश में मोटे अनाजों के उत्पादन एवम सेवन के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि ये जलवायु अनुकूल , पौष्टिक, आजीविका उत्पन्न करने वाले और कम पानी की खपत वाली फसलों के रुप में संयुक्त राष्ट्र संघ के कई सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं।

सतत विकास के दृष्टिकोण से मोटे अनाज जलवायु परिवर्तन , खाद्य असुरक्षा, गरीबी और कुपोषण के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में मोटे अनाजों की भूमिका को इस प्रकार से रेखांकित किया जा सकता है –

गरीबी की समाप्ति (एसडीजी 1)

मोटे अनाज की फसलों को अन्य फसलों की तुलना में कम लागत , कम संसाधन , कम समय और कम पानी की आवश्यकता होती है। इन कारणों से यह छोटे व सीमांत किसानों के लिए अनुकूल है। यह उनकी आय के स्थायी और विश्वसनीय स्रोत हैं । मोटे अनाज अपेक्षाकृत सस्ते खाद्य स्रोत हैं जो उन लोगों को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है।

भुखमरी समाप्त करना (एसडीजी 2)

इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मोटे अनाजों की महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है क्योंकि ये अधिक पौष्टिक आहार हैं और आवश्यक प्रोटीन , विटामिन और खनिज आदि पोषक तत्वों से पूर्ण होते हैं जिनकी गरीबों के भोजन में प्रायः कमी होती है। ये समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए किफायती भोजन का एक विकल्प बन सकते हैं। मोटे अनाज की खेती बारिश की कमी वाली सूखी एवम खराब जमीन पर भी होती है और ये जमीन के पोषक तत्वों को समाप्त नहीं करते। ऐसे में अभावग्रस्त लोगों के लिए मोटे अनाज ही खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करते हैं।

अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन (एसडीजी 3)

मोटे अनाज जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं । मोटे अनाजों में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, फाइबर , एंटीऑक्सीडेंट , ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आदि होते हैं जो कि डायबिटीज , हृदयरोग , कैंसर , उच्च रक्तचाप, पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। अत्यधिक सुपाच्य और प्रोटीन एवम ऊर्जा का अच्छा स्रोत होने के कारण शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए आदर्श भोजन हैं। भारत सरकार द्वारा छोटे बच्चों में कुपोषण रोकने एवम स्टंटिंग के मामलों को नियंत्रित करने के लिए मोटे अनाज के सेवन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मोटे अनाजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है इसलिए ये उच्च रक्तचाप वाले लोगों के लिए अच्छे हैं। ये ग्लूटेन फ्री भी होते हैं तथा लौह तत्व की कमी वाले आहार में आयरन के अच्छे स्रोत हैं।इस प्रकार मोटे अनाज न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामुदायिक स्तर पर भी अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं।

सम्मानजनक आजीविका एवम आर्थिक विकास (एसडीजी 8)

मोटे अनाजों के उपभोग , उत्पादन एवम इनके बाजार को बढ़ावा मिलने से लघु और सीमांत किसानों की आमदनी बढ़ेगी और खाद्य क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन (एसडीजी 12)

मोटे अनाजों की खपत और उत्पादन में वृद्धि का सतत विकास लक्ष्य 12 को प्राप्त करने में योगदान है जो टिकाऊ खपत उत्पादन पैटर्न की मांग करता है। उदाहरण के लिए बाजरे की खेती के लिए धान की फसलों की तुलना में लगभग आधे पानी की आवश्यकता होती है , प्रसंस्करण के लिए कम ऊर्जा की खपत की जरूरत होती है और रासायनिक उर्वरकों एवम कीटनाशकों का अत्यन्त कम प्रयोग करना पड़ता है जिससे कि मोटे अनाजों का उत्पादन पर्यावरण अनुकूल हो जाता है। इनकी खपत एक स्थायी जीवनशैली को बढ़ावा देती है जो पोषण और खाद्य सुरक्षा में योगदान देते हैं। सरकार द्वारा मोटे अनाजों के व्यापार को बढ़ाने के लिए

सभी हितधारकों के लिए जागरूकता एवम प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिससे खाद्य प्रणाली में विविधता बढ़ेगी और टिकाऊ उपभोग व उत्पादन में स्थायित्व बनेगा।

जलवायु परिवर्तन (एसडीजी 13)

मोटे अनाजों की खेती को प्रोत्साहन देना जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिमों को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मोटे अनाज की फसल को उगाने में अन्य परंपरागत फसलों की तुलना में न्यूनतम लागत व संसाधनों की आवश्यकता होती है और इसे अपेक्षाकृत कम कम उपजाऊ व असिंचित , सूखी भूमि पर भी उगाया जा सकता है। ये विशेषताएं लघु और सीमांत किसानों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिमों का सामना करने में सक्षम बनाती हैं और उनकी आजीविका व आय के साधन निश्चित करती हैं। मोटे अनाजों की खेती मौसम की प्रतिकूलता के कारण फसल खराब होने के खतरे को कम करती हैं , दूसरे अनाजों की तुलना में ये फसलें कीट पतंगों से कम प्रभावित होती हैं तथा यह मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है क्योंकि इसकी खेती में रासायनिक उर्वरकों एवम कीटनाशकों का अत्यन्त न्यूनतम प्रयोग होता है। देश में मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाने से एक बेहतर आपदा रोधी और टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणाली विकसित होगी जिससे अच्छा पोषण , अच्छा पर्यावरण और स्वस्थ जीवन हासिल हो सकेगा।इस प्रकार स्पष्ट है कि मोटे अनाजों की खेती जलवायु परिवर्तन से निपटने और एसडीजी 13 प्राप्त करने में सहायक हो सकती है।

इस प्रकार हमने देखा कि मोटे अनाज उपभोक्ता , किसान एवम जलवायु सभी के अनुकूल हैं और पर्यावरण की दृष्टि से स्थाई खाद्य के स्रोत हैं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी।

राजीव लघाटे,
मु.का.अ.ज.पं.